

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 364/2025

Devendra Gurjar S/o Shri Pannalal,
-----Petitioner
Versus
State Of Rajasthan
-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Revision Petition No. 792/2022

Ram Swaroop Son Of Kanaram
-----Petitioner
Versus
State Of Rajasthan
-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5577/2023

Varun Jain S/o Shri Vijay Jain,
-----Petitioner
Versus
State Of Rajasthan
-----Respondent

S.B. Criminal Writ Petition No. 703/2024

Govind Parashar S/o Mohan Lal Sharma
-----Petitioner
Versus
State Of Rajasthan
-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 7547/2024

Munnu Lal Maurya S/o Late Shri Paltu Prasad Maurya,
-----Petitioner
Versus
State Of Rajasthan
-----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 8221/2024

Manoj Kumar Khinchi S/o (Late) Shri Gyarsilal,
-----Petitioner
Versus
State Of Rajasthan
-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Manish Gupta
Mr. V. R. Bajwa
Mr. Virendra Agrawal
Mr. Rishi Kumar Sharma
Mr. Jay Bhardwaj
Mr. Anil Kumar Sharma
Mr. Manjeet Sharma
Ms. Shreya Hatila

For Respondent(s) : Mr. Manvendra Singh, PP
Mr. Pradeep Choudhary, Spl. Counsel
C.B.I.
Mr. Pradeep Choudhary
Mr. C. S. Sinha

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

22/05/2025

याची देवेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में उनके मामले में न्यायालय द्वारा कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया है, अतः जब तक अन्य प्रकरणों में जो इस प्रकरण के साथ सूचीबद्ध हैं और टैग हैं उनमें अन्य याचीगण के संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही को स्टे किया गया है। अतः : ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में भी जब तक याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता है अंतरिम आदेश पारित किया जाए।

सीबीआई विद्वान विशिष्ट अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी उपस्थित हैं और उनके द्वारा इन प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं, जो संलग्न पत्रावली रहें।

इस संदर्भ में आदेशिका दिनांक 25.04.2025 के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि समकक्ष पीठ द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1437/2025, 7547 / 2024, 5577 / 2023, 8221 / 2024 के साथ S. B. Crl.W.P. No. 703 / 2024 एवं S.B. Criminal Revision No.792/2022 को समेकित करने के आदेश दिए गए हैं। इस संदर्भ में क्रिमिनल रिट एवं क्रिमिनल रिविजन का रोस्टर इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। अतः प्रोपराइटी

यही कहती है कि इस प्रकरण में सुनवाई हेतु मामले को प्रशासनिक आदेश पारित करने हेतु माननीय मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष उचित आदेश हेतु रखा जाए।

प्रकरण माननीय मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष उचित आदेश हेतु प्रस्तुत हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J